रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2012/आषाढ़ 22, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 95
No. 121] DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2012/ASADHA 22, 1934 [N.C.T.D. No. 95

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 जुलाई, 2012

पत्रांक एफ 60 (59)/म.बा.कवि/ए.डढी.म.स.प्र./खंड :-IV/11541-557.—दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 (दिल्ली अधिनियम 1994 की संख्या 8) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली के लिए दिल्ली महिला आयोग निम्न अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से पुनर्गठित करती है :—

1. श्रीमती बरखा सिंह, विधायक —अध्यक्ष
बी-5/183, सफदरजंग एन्कलेव
नई दिल्ली-29

2. श्रीमती रिनी जैकब —सदस्य
39, इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी ब्लॉक
जनकपुरी, नई दिल्ली-58

3. सुश्री जूही खान —सदस्य
161/50, चौथी मंजिल,
शम्सी अपार्टमेंट, सबका बाजार के उपर
जोगाबाई, ओखला
नई दिल्ली-25

4. श्रीमती किरणवती टान्क —सदस्य
बी/283, पुरानी सीमा पुरी,
दिल्ली-110095

5. श्रीमती सुधा टोकस —सदस्य
मकान नंबर-250/ए, रामा मार्किट के पीछे
मुनिरका गाँव, नई दिल्ली-67

6. श्रीमती लालडिंगलियानी सायलो, —सदस्य
बी-11/249, विनय मार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21

7. श्रीमती गीता सागर, —सदस्य सचिव
ए-804, आदित्या मेगा सिटी
वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम,
निकट आदित्या मॉल,
गाजियाबाद-201010 (उ.प्र.)।

1. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 3 वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग अधिनियम 1994 की धारा 4 के अनुसार अपने पद पर कार्य करेंगे। सदस्य सचिव का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक रहेगा। जिसके नियम व शर्तें सरकार द्वारा पत्रांक एफ. 60(59)/म.बा.कवि/डी.डी. म.क./खंड : 3/20564 दिनांक 13-08-2009 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 10-11-2009 में निर्धारित किये जा चुके हैं।

आयोग निम्नलिखित में से सभी या किसी भी कार्य का निष्पादन करेगा यथा :—

क. संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों का अन्वेषण एवं परीक्षण करना ।

ख. सरकार को इस प्रकार के सुरक्षा उपायों पर वार्षिक या ऐसे अन्य सयंमों पर जिसे आयोग ठीक समझे रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

ग. महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के वर्तमान प्रावधानों तथा अन्य कानूनों का समय-समय पर पुनर्निक्षण करना तथा उनमें संशोधनों की सिफारिशें करना ताकि इस प्रकार की विधियों में त्रुटियों एवं कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक विधि के उपाय का सुझाव दिया जा सके ।

घ. संविधान के प्रावधानों तथा महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों का उल्लंघन के मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के सामने रखना ।

ङ. शिकायतों को सुनना तथा सुओ मोटो संज्ञान लेना या निम्नलिखित मामलों को देखना :—

2. महिलाओं के अधिकारों का हनन ।

3. महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बने कानूनों का कार्यान्वयन करना तथा समानता और विकास के उद्देश्य को भी पूरा करना ।

4. महिलाओं की कठिनाईयों को कम करने तथा कल्याण सुनिश्चित करने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संबंधित नीति निर्णय, मार्गदर्शक सिद्धांत या अनुदेशों का अनुपालन न करने वालों तथा ऐसे मामले से जुड़े प्रश्नों को उपयुक्त अधिकारियों के सामने लाना ।

च. समस्याओं और स्थितियों का विशेष अध्ययन और अन्वेषण करना तथा बाधाओं को जानकर उनको दूर करने के लिए योजना बनाना ।

छ. सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए रास्ते सुझाने हेतु तथा उनकी प्रगति में बाधक तत्वों जैसे बुनियादी सेवाओं का अभाव, उनकी उत्पादकता में रुकावट डालने वाले कठिन कार्य तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कार्यों को कम करने के लिए अपर्याप्त सहयोगी सेवाओं तथा तकनीकियों को पहचान कर शैक्षणिक अनुसंधान करना ।

ज. महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उन्नति की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना ।

झ. राजधानी में महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ।

ण. कारागार, रिमांड गृह तथा महिला संस्थान या अन्य किसी ऐसे संस्थान जहां महिलाओं को कारागार या अन्य कारण से रखा जाता हो, का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करना यदि आवश्यक समझा जाये तो संबंधित अधिकारियों के साथ सुधारात्मक कार्रवाई करना

त. महिलाओं के ऐसे बड़े निकाय को प्रभावित करने वाले धन विवाद संबंधित मामले या विशेष रूप से विभिन्न कठिनाइयों जिन्हें महिलाएं झेलती हैं, के संबंध में सरकार को निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट देना ।

थ. सरकार द्वारा भेजा गया अन्य कोई भी मामला । महिलाओं के प्रति किये जा रहे विभेद और अत्याचारों के कारण उत्पन्न हो रही विशेष समस्या ।

5. दिल्ली महिला आयोग अधिनियम 1994 के नियमों के अनुसार आयोग सरकार को वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा ।

6. अध्यक्ष एवं सदस्यों का मानदेय, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें दिल्ली महिला आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय, भत्ते एवं सेवा शर्तें एवं अन्य प्रावधान) नियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जायेंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के नाम एवं आदेश से,

राजीव काले, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

(Women Empowerment Cell)

NOTIFICATION

Delhi, the 13th July, 2012

No. 60(59)/DWCD/ADWEC/Vol.-IV/11541-557.— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby reconstitutes the Delhi Commission for Women for the National Capital Territory of Delhi consisting of the following persons with effect from the date of this Notification, namely :—

1. Mrs. Barkha Singh, MLA —(Chairperson)
B-5/183, Safdar jung Enclave
New Delhi -110029.

2. Mrs. Reny Jacob —Member
39, Institutional Area,
D Block, Janakpuri,
New Delhi-58.

3. Ms. Juhi Khan —Member
161/50,4th Floor, Shamshi Apartment,
Above Sabka Bazar, Jogabai, Okhla,
New Delhi-25.

4. Mrs. Kiranwati Tank —Member
B-283, Old Seemapuri, Delhi-95.

5. Smt. Sudha Tokas —Member
H.No. 250/A, Behind Rama Market,
Munirka Village, New Delhi-67.

6. Mrs. Laldingliani Sailo B-II/249, —Member
Vinay Marg, Chankayapuri,
New Delhi-21.

7. Mrs. Geeta Sagar —Member Secretary
Aditya Mega City, Vaibhav khand,
Indrapuram, Near Aditya Mall,
Ghaziabad, U.P-201010.

1. The Chairperson and the Members of the Commission shall hold office for three years and Member Secretary will hold the office for one year as provided under Section 4 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 and the term of office of Member Secretary will be for one year from the date of issuance of this notification on the term and conditions already decided by the Government vide letter No.F.60(59)/DWCD/AD(WEC)/Part-III/20564 dated 13-08-2009 and corrigendum 10-11-2009.

2. The Commission shall perform all or any of the following functions :—

a. to investigate and examine all matters relating to safeguards provided for women under the Constitution and other laws;

b. to present to the Government annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

c. to make in such reports recommendations for the effective implementation of those safeguards for improving the conditions of women in the Capital;

d. to review from time to time, the existing provisions of the Constitution and other laws affecting women and recommend amendments thereto so as to suggest remedial legislative measures to meet any lacunae, inadequacies or short comings in such legislations;

e. to take up the cases of violation of the provisions of the Constitution and of other laws relating to women with the appropriate authorities;

f. to look into complaints and take suo-motu notice of matters relating to:—

(i) deprivation of women's rights;

(ii) non-implementation of laws enacted to provide protection to women and also achieve the objectives of equality and development;

(iii) non-compliance of policy decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and providing relief to women, and take up the issues arising out of such matters with appropriate authorities;

g. to call for special studies or investigation into specific problems or situations arising out of discrimination and atrocities against women and identify the constraints so as to recommend strategies for their removal;

h. to undertake promotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of women in all spheres and identify factors responsible for impending their advancement, such as sack of access of housing and basic services, inadequate support services and technologies for reducing drudgery and occupational health hazards and for increasing their productivity;

i. to participate and advise on the planning process of socio-economic development of women;

j. to evaluate the progress of the development of women in the Capital;

k. to inspect or cause to be inspected a jail, remand home, women's institution or other place of custody where women are kept as prisoners or otherwise, and take up with the concerned authorities for remedial action, if found necessary;

l. to fund litigation involving issues affecting large body of women;

m. to make periodical reports to the Government or any matter pertaining to women and in particular various difficulties under which women toil;

n. any other matter which may be referred to it by the Government.

3. The Commission shall make reports available to the Government as per the provisions of the Delhi Commission for Women Act, 1994.

4. The honorarium, allowances and other conditions of service of the Chairperson and other Members will be governed as per the provisions of the Delhi Commission for Women (Honorarium, Allowances and Conditions of Service of Chairperson and Members and other provisions) Rule, 2000.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

RAJIV KALE, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.